एकलपीठ सिविल रिट याचिका संख्या 5818/2006

महेन्द्रसिंह बनाम स्टेट आफ राजस्थान व अन्य

10.5.2007

माननीय न्यायाधिपति श्री मोहम्मद रफीक

श्री राजेश मूथा, अधिवक्ता याची की ओर से।

याची के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

इस रिट याचिका के माध्यम से याची ने अयाचीगण द्वारा जारी मांगपत्र दिनांक 28.4.2006 को चुनौती दी है। उक्त मांगपत्र के द्वारा याची को बकाया कर की राशि 89449/- रुपये जमा कराने का आदेश दिया गया है।

याची के विद्वान अधिवक्ता की बहस है कि जिस वाहन का पंजीयन याची के नाम किया गया था वह पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो चुका था तथा उसे उन्होनें कबाड़ी को दिनांक 6.10.97 को बेच दिया था। इस बाबत उन्होनें कुछ दस्तावेज भी याचिका के साथ पेश किये हैं। उनका कथन है कि उन्होनें कर की राशि अंतिम रुप से दिनांक 10.3.96 को जमा करायी थी, उसके पश्चात न तो वाहन उनके पास रहा और न ही उसे परिचालित किया गया क्योंकि वाहन कबाड़ बन चुका था। अत: कर की राशि मांगे जाने का कोई औचित्य नहीं है।

याची के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनने के पश्चात मैं इस निश्चित मत का हूं कि वाहन अंतिम रुप से कब तक परिचालित किया गया एवं वह कबाड़ बन चुका है यह तथ्य सम्बन्धी प्रश्न है, जिसका निस्तारण राजस्थान मोटर यान कराधान अधिनियम, 1951 के प्रावधानों के अनुसार ही किया जा सकता है। याचिकाकर्ता को उक्त अधिनियम की धारा 14 के अन्तर्गत अपील दायर करने का वैकल्पिक उपचार उपलब्ध है। उक्त धारा में अपील करने की समयावधि 30 दिवस निर्धारित की गयी है। किन्तु

प्रकरण की परिस्थितियों में याचिकाकर्ता को निर्देश दिया जाता है कि यदि वह इस निर्णय की प्रति प्राप्त होने से 30 दिवस की अवधि में अपील सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करे तो उसकी अपील का निस्तारण विधि अनुसार गुणावगुण पर किया जावेगा।

इसी टिप्पणी के साथ यह रिट याचिका निस्तारित की जाती है।

(मोहम्मद रफीक)
न्यायाधिपति